# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 16/468

सत्यनारायण पुत्र श्री रामप्रताप जाति गुर्जर निवासी नयागॉव खालसा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

**बनाम**

1. मोडू लाल पुत्र श्री फत्ता जाति जाट निवासी जामूतिनया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री भारत सिंह अडसेला, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री राजेन्द्र जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

**निर्णय** दिनांकः 14.11.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 14.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 मोडू लाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 54 के अन्तर्गत ग्राम जामुन्या तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की कुल 08 किता की 3.03 हैक्टर भूमि में अपना 4/6 बताते हुए वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 04.01.2016 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर दी । प्राथमिक डिक्री के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.06.2016 के द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 14.06.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव अंतिम डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया था जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं अंतिम डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी उपखण्ड अधिकारी के यहॉ से इजराय हेतु नोटिस मिलने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय एवं अंतिम डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया है जबकि तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव उभय पक्षकारों की उपस्थिति में ही तैयार किया जाना चाहिए था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पालना किये बिना ही उक्त अंतिम डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 14.06.2016 निरस्त फरमाई जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री नियमानुसार प्राथमिक डिक्री के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही की गई है । अपीलान्ट को यदि विभाजन प्रस्ताव से कोई आपत्ति थी तो वह अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील विलम्ब से पेश किये जाने के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा एक वाद विभाजन का प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर तथा तत्पश्चात् विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी । प्रस्तुत प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये थे उसमें अपीलान्ट उपस्थित नहीं था जबकि विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की

उपस्थिति में तैयार करने चाहिए इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । जबकि अधीनस्थ न्यायालय को विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्ण रूप से पालना करते हुए विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की जानी चाहिए थी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.06.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विधि सम्मत अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान दिनांक 27.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 14.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा